न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– सोनू कुमारी (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 78/2024 **दायर दिनांक 04.07.2024**

उनवान मुकदमा

1. श्रीमती सुन्दर पाटीदार पत्नी लालजी जाति पाटीदार निवासी सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाड़ा।
2. भरत पाटीदार पुत्र लालजी जाति पाटीदार निवासी सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाड़ा ।
3. कमलेश पाटीदार पुत्र लालजी जाति पाटीदार निवासी सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाड़ा ।

वादीगण

बनाम

1. श्रीमती हुकी पाटीदार पत्नी लालजी जाति पाटीदार निवासी सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाड़ा ।
2. हरिश पाटीदार पुत्र लालजी जाति पाटीदार निवासी सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाड़ा।
3. प्रकाश पाटीदार पुत्र लालजी जाति पाटीदार निवासी सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाड़ा।
4. शाखा प्रबन्धक युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुरवानिया।
5. भूमिधारी तहसीलदार बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 23.12.2025

वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि, वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के पैतृक स्वामित्व व आधिपत्य का खाता संख्या 456 के खसरा नम्बर 590/3 रकबा 0.3479 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 758/2 रकबा 0.1861 हैक्टेयर कुल खसरे 02 कुल रकबा 0.5340 हैक्टेयर कुल लगानी 2.000 पैसा वाके ग्राम सुरवानिया पटवार हल्का सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित है। उक्त आराजीयात वादीगण के कब्जाकाश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है। एवं लगान भी राज्य सरकार में अदा करते चले आ रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि संहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हो गए है। प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता लालजी पिता हामेंग पाटीदार फौत होने पर वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 व 3 के पिता लालजी पिता हामेंग पाटीदार की कृषि भूमि पर राजस्व रिकार्ड में सहवन से दर्ज हो गया। जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि के एकमात्र खातेदार कृषक वादीगण है जिन्हे राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज का नाम लालजी पिता हामग पाटीदार होने से सहवन से दर्ज हो गया है। मौके पर वादीगण काबिज होकर शांतिपूर्ण काश्त कर रहे है। प्रथम दृष्टया वादीगण का प्रकरण बनना पाया जाता है। सुविधा संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। प्रतिवादीगण वादीगण के खातेदारी भूमि को खुर्द–बुर्द व बेचान ना करे जिस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। जिस कारण वादीगण अपने

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

हिस्से की भूमि में स्वतन्त्र रूप से काश्त करने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त काश्त कृषि भूमि में बाधा व रूकावट पैदा ना करें, ना बेचान करें, खुर्द – बुर्द करें ना ही अन्य किसी से करावें।

वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित करने एवं उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने हेतु यह दावा धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया गया है और प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री राजेन्द्र पाटीदार अभिभाषक का वकालनामा पेश होकर पत्रावली जवाब हेतु नियत की गई। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के वाद के कथनों को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया गया। हम प्रतिवादीगण के पिता व पति के देहांत होने के पश्चात् हमारे पुश्तैनी खाते में विरासती नामान्तरकरण खोले जाने हेतु आवेदन करने पर हमनाम होने के कारण राजस्व कर्मचारी ने त्रुटिवश वादग्रस्त भूमि हम प्रतिवादीगण के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 03 दिनांक 11.07.2017 को राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया । उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि पर वादीगण ही काबिज होकर कदिमाना समय से काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रेकार्ड की उक्त त्रुटि की जानकारी हमें बाद में ज्ञात हुई है। वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 456 के खसरा नम्बर 590/3 रकबा 0.3479 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 758/2 रकबा 0.1861 हैक्टेयर वाके ग्राम सुरवानिया पटवार हल्का सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाड़ा का खातेदार कृषक घोषित किये जाने की अनापत्ति जाहिर की।

प्रकरण में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को सुना गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने स्वीकारोक्ति का जवाबदावा पेश किया है। अतः प्रकरण में आदेश 14 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र की विषयवस्तु को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः पक्षकारो की साक्ष्य लिया जाना आवश्यक नही है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा गांव सुरवानिया की जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 खाता संख्या 212 नया, 207 पुराना, जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 खाता संख्या 388 नया, 212 पुराना, जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 खाता संख्या 388 नया, 429 पुराना, की पेश की है। जिसमें खातेदार वादीगण के पिता लालजी पिता हामेंग है। नामान्तरकरण की प्रतिलिपि, जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खाता संख्या 456 नया, 456 पुराना, खसरा नम्बर 590/3 व 758/2 की पेश की है जिसमें खातेदार प्रतिवादीगण है।

प्रकरण में वादीगण के वाद पत्र के तथ्यों को प्रतिवादीगण द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया है। प्रकरण राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष अधिवक्ता मय पक्षकारान् ने अपने सुक्ष्म हस्ताक्षर किये। राजीनामा बाद तस्दीक कर स्वीकार किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण अधिवक्ता बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित कर एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करने निवेदन किया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस में वादपत्र को स्वीकार कर निवेदन किया वादग्रस्त कृषि भूमि में कब्जा काश्त वादीगण का होने के तथ्य को भी प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया है। उभयपक्ष के मध्य आपसी राजीनामा होने से वादग्रस्त भूमि में वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने की अनापत्ति जाहिर की।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

बहस पर मनन करने एव पत्रावली के संलग्न अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में वादीगण को कृषि भूमि खाता संख्या 456 के खसरा नम्बर 590/3 रकबा 0.3479 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 758/2 रकबा 0.1861 हैक्टेयर वाके ग्राम सुरवानिया पटवार हल्का का खातेदार घोषित किया जाना एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत पाया जाता है। अतः वादीगण का वाद पत्र बाबत् खातेदार कृषक की घोषणा स्वीकार किया जाना उचित है।

—::आदेश::—

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि, कृषि भूमि खाता संख्या 456 के खसरा नम्बर 590/3 रकबा 0.3479 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 758/2 रकबा 0.1861 हैक्टेयर वाके ग्राम सुरवानिया पटवार हल्का सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाड़ा का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कि जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भविष्य में कभी भी उनके द्वारा वादीगण को विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करें तथा वादीगण को उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न पहुंचायें न ही किसी और के द्वारा ऐसा करवावें। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बांसवाडा को भिजवाई जाती है। तदअनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बांसवाड़ा को दिये जाते है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को जारी किया गया।

Sonu

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, **मुकाम** : बांसवाडा व **इजलास** : सोनू कुमारी, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 78/2024

उनवान मुकदमा

1. श्रीमती सुन्दर पाटीदार पत्नी लालजी जाति पाटीदार निवासी सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाडा।
2. भरत पाटीदार पुत्र लालजी जाति पाटीदार निवासी सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाडा ।
3. कमलेश पाटीदार पुत्र लालजी जाति पाटीदार निवासी सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाडा ।

वादीगण

बनाम

1. श्रीमती हुकी पाटीदार पत्नी लालजी जाति पाटीदार निवासी सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाडा ।
2. हरिश पाटीदार पुत्र लालजी जाति पाटीदार निवासी सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाड़ा।
3. प्रकाश पाटीदार पुत्र लालजी जाति पाटीदार निवासी सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाड़ा।
4. शाखा प्रबन्धक युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुरवानिया।
5. भूमिधारी तहसीलदार बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा।

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक :– 23.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे एवं हाजरी वकील वादीगण पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वादीगण का वाद एवं वादीगण एवं प्रतिवादी के राजीनामे को स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सुरवानिया पटवार हल्का सुरवानिया तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 456 के खसरा नम्बर 590/3 रकबा 0.3479 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 758/2 रकबा 0.1861 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कि जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भविष्य में कभी भी उनके द्वारा वादीगण की विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करें तथा वादीगण को उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न पहुचायें न ही किसी और के द्वारा ऐसा करवावे। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बासवाडा को भिजवाई जाती है। तदअनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बांसवाडा को दिये जाते है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

नोज **शून्य** मुबलिग **शून्य** बाबत् **शून्य** खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह **शून्य** प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक **शून्य** का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 23.12.2025 को जारी की गई।

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

मुदई	**रूपया पैसा**	**मुद्दवायलह**	**रूपया पैसा**
स्टाप की अरजी दावा	**शून्य**	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	**शून्य**	स्टाम्प अरजी	**शून्य**
स्टाम्प वहज सबुत	**शून्य**	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	**शून्य**	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	**शून्य**	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	**शून्य**	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	**शून्य**	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	**शून्य**		
कुल	**शून्य**	कुल	शून्य

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner